

ऊगम चंद भंडारी

विरुद्ध

केंद्रीय आबकारी, मद्रास

5 मई, 2004

(राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति)

केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944-धारा 114 ए परंतुक, विस्तारित सीमा अवधि - जलरोधक कपड़ों का आह्वान निर्धारिती द्वारा गलत वर्गीकरण.विभाग के अधिकारी नियमित रूप से कारखाने का दौरा करते रहे हैं एवं निर्धारिती और उनके द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया से अवगत थे। निर्धारित, विभाग के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गईए परिणामस्वरूप विस्तारित सीमा अवधि लागू नहीं है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 - शुल्क शीर्षक 59.06 - जलरोधक कपड़े. की प्रकृति. रासायनिक परीक्षक द्वारा परीक्षण पर पाया गया दिखाई देने वाली परत के साथ संवर्धित/लेपित कपड़े जो नंगी आंखों को दिखाई देते थे। अधिकरण ने सही रूप से इस उत्पादन को टैरिफ शीर्षक 59.06 के तहत वर्गीकृत किया।

वे प्रश्न जो विचार के लिए इन अपीलों में उत्पन्न हुए वे यह हैं कि क्या जलरोधक कपड़े 52 ग्07 केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अनुसूची के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं जैसा कि अपीलार्थी-उत्पादक ने चाहा है अथवा

यह शीर्षक **59.06** के तहत आएगा जैसा कि अधिकरण ने निर्धारित किया है और क्या बढ़ाई गई परिसीमा की अवधि जो धारा **11ए** के परन्तुक केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, **1944** के तहत है, लागू है।

आंशिक रूप से अपीलें स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

**1.1** अधिकरण द्वारा यह निश्चय दर्ज करना कि उत्पादन की प्रकृति जो सम्बद्ध साक्ष्य देखते हुए व सम्बद्ध प्रविष्टियां देखते हुए पाई गई है। अधिकरण ने निर्धारित किया कि अपीलार्थीगण द्वारा उत्पादित कपड़ों में हेरा-फेरी की गई है। अतः उसे यह माना जाएगा कि यह कपड़ा अन्य सामग्री के साथ हेरा-फेरी कर बनाया गया है, जिन्हें टैरिफ **59.02** व **59.05** में बताया गया है। ऐसी हेरा-फेरी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की योजना में हेरा-फेरी किए गए कपड़े जिन पर एक परत है जो नंगी आंखों को भी दिखाई देती है व उपलब्ध साक्ष्य, जो एक तथ्य की खोज है, उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

**1.2** इस तथ्य के अलावा कि विभाग में इस बारे में राय में विरोधाभास था यह तथ्य फिर भी रहता है कि विभाग के अधिकारीगण नियमित रूप से अपीलार्थी के कारखाने के दौरे करते रहे हैं तथा उन्हें यह जानकारी थी कि अपीलार्थी द्वारा उत्पादन में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अपीलार्थी द्वारा विभाग के साथ धोखाधड़ी की गई है। इन परिस्थितियों में बढ़े हुए परिसीमाकाल के आवेदन

को जैसा कि धारा 11 ए अधिनियम में बताया गया है, सही नहीं है। अतः आदेश का वह भाग जहां अधिकरण में अपीलार्थीगण की यह प्रार्थना अस्वीकृत की थी कि धारा 11 ए का सहारा नहीं लिया जा सकता, निरस्त की जाती है। अन्य बिन्दुओं पर अधिकरण द्वारा किया गया आदेश स्वीकार्य है। (63-ए-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1751-1752-/1997

केन्द्रीय उत्पाद आबकारी एवं सोना नियंत्रण अपीलीय अधिकरण दक्षिण क्षेत्र पीठ, मद्रास द्वारा एफ क्यू सं. 1402/1996 जो ए संख्या ई/आर 783-784/1995 में किए गए निर्णय व आदेश दिनांक 3.8.1996 के विरुद्ध है।

साथ में

सिविल अपील 1778, 1795-1796 / 1997

वी. लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव एवं वी. बालचंद्रन, अपीलार्थीगण की ओर से।

गौरीशंकर मूर्ति सिद्धार्थ चैधरी एवं बी. के. प्रसाद, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

उक्त सभी अपीलें 3.8.1996 के केन्द्रीय उत्पाद आबकारी एवं सोना नियंत्रण अपीलीय अधिकरण दक्षिण क्षेत्र पीठ, मद्रास द्वारा एफ क्यू सं. 1402/1996 जो ए संख्या ई/आर 783-784/1995 में किए गए निर्णय व आदेश दिनांक 3.8.1996 के विरुद्ध है, जिसमें विचार के लिए यह प्रश्न उठाये गये हैं कि

1. क्या जलरोधक कपड़े शीर्षक 52.07 केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अनुसूची के तहत वर्गीकृत किए जाने योग्य है जैसा कि अपीलार्थी ने चाहा है अथवा शीर्षक 59.06 के तहत जैसा अधिकरण ने माना है एवं

2. क्या बढ़ा हुआ परिसीमाकाल जो केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11ए के परंतुक के तहत है व वर्तमान मामले में प्रयुक्त हो सकती है। परिणामस्वरूप क्या केन्द्रीय उत्पाद नियमों 1944 के तहत नियम 173क्यू के अंतर्गत अपीलार्थी पर दण्ड लगाया जा सकता है।

दो प्रतिस्पर्धात्मक प्रविष्टियां इस प्रकार हैं:

**शीर्षक 52.07**

कपास के कपड़े (वे कपड़े शामिल हैं जो शीर्षक 52.09, 52.10 एवं 52.11 में आते हैं।)

ए. वे कपड़े जो हाथकरघे के अतिरिक्त करघों पर बुने गये हों एवं,

बी. वे कपड़े जिन्हें ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, जलरोधन, सिकुड़न प्रूफिंग, आर्गेन्डी प्रोसेसिंग या अन्य किसी प्रक्रिया अथवा

उपरोक्त में से कोई भी दो या अधिक प्रक्रियाओं से गुजारा गया हो तथा उनमें भाप की शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया हो।

### शीर्षक 59.06

टैक्सटाइल कपड़ों जिनके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो, कोई परत या कवर लगाया गया हो, (इनमें वे कपड़े शामिल हैं जो आंशिक या पूर्णतया से टैक्सटाइल फ्लेक या टैक्सटाइल फ्लेक से बनी किसी चीज से ढके हों)। अधिकरण ने अपीलार्थीगण द्वारा जारी किए गए सूचीपत्र को देखा, जिसमें आमजन से भागीदारी चाही गयी थी व जिसमें वर्णित की गयी प्रक्रिया निम्नानुसार है -

“सीपीटी के लिए स्लेटी कपास जिसे तैयार करने में एक सामान्य प्रूफिंग मिश्रण काम में लिया जाता है तथा जिसे सुखाने वाली रेंज में सुखाया जाता है। सामान्य प्रूफिंग मिश्रण मुख्यतः विभिन्न श्रेणियों में मोम एल्यूमीनियम स्टीरेट एवं कॉपर नेफथनेट (एवं रंगीन करने के एजेंट यदि आवश्यकता हो) द्वारा तैयार किया जाता है।”

यह कहा गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी गयी है वह इम्प्रेगनेशन की थी ताकि कपड़ा जलरोधक हो सके। जबकि अपीलार्थी द्वारा निर्मित कपड़े परीक्षण में रसायनिक विश्लेषक द्वारा पाये गये कि

उन्हें इम्प्रेगनेटेड अथवा परत द्वारा कोटेड नहीं किया गया, जो कि नंगी आंखों को दिखता हो। उन्होंने पाया कि रबर व प्लास्टिक के लेपित कपड़े जलरोधक होंगे। यदि अपीलार्थी का कथन स्वीकार किया जाता है तो अध्याय 59 में टैरिफ मदों का दायरा सीमित हो जाएगा। वह इस हद तक सीमित हो जाएगा कि यदि कपास के कपड़े को परत लगाकर इम्प्रेगनेट किया जाता है और जब तक वह जलरोधक रहेगा तो वह शीर्षक 52.07 व 52.06 के टैरिफ शीर्षक में आएगा जैसा भी हो। विभिन्न शीर्षकों का परीक्षण करने पर अधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण द्वारा निर्मित कपड़ा इम्प्रेगनेटेड है अतः उसे यह माना जाएगा कि उसे टैरिफ 59.02 व 59.05 के सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री से इम्प्रेगनेट किया गया है। ये कपड़े अध्याय 59 के नोट 4 का मस्टर पास करते हैं। यह नोट नये टैरिफ के प्रभाव में आने के बाद में क्रम 5 पर थे। सम्बद्ध अवधि के दौरान वे ऐसे सामग्री से लेपित किए गए जो शीर्षक 59.01 से 59.05 में नहीं हैं व उनकी परत नग्न आंखों को दिखाई देती थी। अध्याय 59 को देखने पर यह पता चलता है कि यह अध्याय इम्प्रेगनेटेड कपास व अन्य चीजों के अलावा कपड़ों को सम्मिलित करता है। अधिकरण ने विशेष तौर पर यह पाया कि किसी भी कपड़े पर प्रयुक्त प्रक्रिया कपड़े का बनावट प्रभावित नहीं करती न ही उसका वजन बढ़ाती। अधिकरण ने कुछ पुस्तकों का अवलंबन लेते हुए यह देखा कि अध्याय के नोट के आधार पर व्याख्या करनी होगी। अतः अधिकरण इस विचार का

था कि इम्प्रेगनेटेड कपड़े जिन पर लगी परत नग्न आंखों को दिखाई दे वे टैरिफ शीर्षक **59.06** के तहत मूल्यांकन योग्य है।

अगला तर्क जो अपीलार्थीगण द्वारा दिया गया है कि उनके कपड़ों का पुनः परीक्षण करा लिया जाए को अधिकरण ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि अपीलार्थीगण नियमों में बताये अनुसार अपने कपड़ों का पुनः कार्यवाही की एक समुचित स्टेज पर परीक्षण करा सकते हैं। यह तर्क अधिकरण द्वारा उचित रूप से निर्णित किया गया है अतः इसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

अगला तर्क जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह यह कि जब इम्प्रेगनेशन अथवा कोटिंग नग्न आंखों से देखी जा सके केवल मात्र तभी उत्पादन का वर्गीकरण शीर्षक **59.06** में किया जा सकता है जबकि दूसरी ओर यदि इम्प्रेगनेशन या कोटिंग नग्न आंख से नहीं दिखाई देती। जबकि कपड़े को नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो शीर्षक **59.06** में ऐसे कपड़े का उत्पादन नहीं आएगा। वे **11.4.1991** के एक परिपत्र पर भरोसा कर रहे हैं। जिसमें यह बताया गया है कि यह पता करने के लिए कि सतह पर जो परत है, वह दिखाई देने योग्य है अथवा नहीं। एक परत को ऐसी सामग्री से भिन्न मानना चाहिए जिसमें किसी पदार्थ की कुछ मात्रा के दाग असमान रूप से कपड़े पर है। यह कहा गया है कि वर्तमान मामलों में परीक्षण रिपोर्ट जो नमूनों की ली गई वे मात्र यह कहती है कि इम्प्रेगनेशन अथवा कोटिंग नग्न आंखों को दिखाई देती है इस बात का कोई वर्णन नहीं

है कि कोटिंग या इम्प्रेगनेशन की परत है अतः उत्पादन को शीर्षक 59.06 में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया है कि परीक्षण रिपोर्ट जो रासायनिक परीक्षक द्वारा दी गई है वह सही व स्पष्ट नहीं है। अपीलार्थीगण ने चाहा कि नये नमूने लेकर पुनः परीक्षण कराया जाए या विकल्प में रासायनिक परीक्षण की प्रतिपरीक्षा की जाए। परंतु नियम 56 में बताए अनुसार कोई पुनः परीक्षण इस आधार पर आयुक्त ने नहीं कराया कि यह प्रार्थना 90 दिन के बाद की गई है। यह कहना उचित होगा कि सील किए गए नमूने आज भी उपलब्ध हैं तथा उनका अब भी इस बारे में पुनः परीक्षण कराया जा सकता है कि उन पर दिखाई देने योग्य परत बनी हुई है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय तथ्यों पर आधारित है तथा वह निर्णय अधिकरण द्वारा अंतिम किया जा चुका है। अतः इसका दोबारा हमारे द्वारा परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं अधिकरण द्वारा जो नतीजा दिया गया है वह प्रश्नगत सामग्री का परीक्षण कर सम्बद्ध प्रविष्टियों को देखकर किया गया है प्रतिपरीक्षा की अनुमति से अपीलार्थी को इनकार करना समय सीमा पर आधारित था। अपीलार्थी इस कार्यवाही में उसका फायदा नहीं उठा सकता। अधिकरण ने निर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित कपड़ा इम्प्रेगनेटेड है अतः उसे इम्प्रेगनेटेड कपड़ा माना जाएगा तथा



टैरिफ 59.02 व 59.05 की सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री के द्वारा इम्प्रेगनेटेड माना जाएगा। ऐसा इम्प्रेगनेशन स्पष्ट इंगित करता है कि केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ के तहत इम्प्रेगनेटेड कपड़ा जिस पर परत लगी हो जो नग्न आंखों से दिखाई देती हो तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह एक तथ्यों का निश्चय है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अतः अपीलार्थीगण के सभी तर्क खारिज किए जाते हैं।

जहां तक अपीलार्थी के इस तर्क का सवाल है कि बड़े हुए परीसीमा काल में केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 11 ए के परंतुक के तहत इन मामलों में कार्यवाही की जा सकती है। हमें यह देखना है कि क्या वास्तव में अपीलार्थीगण के द्वारा जानबूझकर महत्वपूर्ण सूचना छुपाने का आशय था। उनके द्वारा यह दलील दी गई है कि उन्हें युक्तियुक्त विश्वास था कि उनके कपड़े शीर्षक 52.07 के तहत वर्गीकृत होने योग्य है। उन्होंने इसी अनुसार वर्गीकरण किया तथा अधिकारीगण उनके यहां 1986 के बाद से लगातार दौरा कर रहे हैं तथा उन्हें उनके द्वारा की गई प्रक्रिया का ज्ञान है कि किस प्रकार अंतिम उत्पादन उनके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अधिकरण ने इस तर्क को नकार दिया। इस बात के अतिरिक्त कि विभाग में भी इस बारे में भिन्न भिन्न विचार थे। यह तथ्य रहता है कि विभागीय अधिकारियों ने नियमित रूप से अपीलार्थीगण के कारखाने का निरीक्षण किया तथा वे कपड़ा निर्माण करने की प्रक्रिया जो अपीलार्थीगण ने अपना रखी थी से भलीभांति वाकिफ थे। यह कहना गलत होगा कि अपीलार्थीगण

ने विभाग के साथ धोखाधड़ी की है। इन परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि धारा 11ए अधिनियम के तहत बढ़ा हुआ परिसीमाकाल लागू नहीं है, सही नहीं है। अतः आदेश का वह भाग जहां अधिकरण ने अपीलार्थीगण की प्रार्थना धारा 11ए के तहत नहीं मानी उसे निरस्त किया जाता है। अन्य बिंदुओं पर अधिकरण का आदेश पुष्ट किया जाता है।

हम यह कहते हैं कि अपीलार्थीगण की ओर से दिया गया तर्क कि क्या अधिकरण द्वारा उत्पादन की कीमत पर उत्पादन कर लगाना सही था जबकि उसे कम - ड्यूटी नहीं माना गया। इस तर्क का परीक्षण इन मामलों में नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें विशिष्ट तौर पर न तो अधिकरण के सामने प्रस्तुत किया गया न ही अधिकरण ने इन पर विचार किया।

अपीलें आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती हैं जैसा ऊपर बताया गया और अन्य मामलों में अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।